

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 404
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को प्रशिक्षण

*404. श्री ए.के.पी. चिनराजः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देशभर में बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों की पहचान कर उनका समाधान करने हेतु सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कोई निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) प्रत्येक राज्य में प्रस्तावित प्रशिक्षण में उक्त प्रशिक्षुओं के चयन करने के तरीके एवं प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में चयनित किये जाने वाले अध्यापकों और विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;
- (घ) प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के प्रस्तावित प्रशिक्षण की अवधि कितनी है; और
- (ङ) उक्त प्रशिक्षण कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ङ.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

‘प्रधानाचार्यों और अध्यापकों को प्रशिक्षण’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री ए.के.पी. चिनराज और श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा दिनांक 22.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 404 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): जी, हां। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अभिरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए, आधुनिक शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख को इन मामलों से निपटने के लिए अपेक्षित कौशल से लैस होने की आवश्यकता है। रटने से सक्षमता आधारित अध्ययन की ओर जाने, विद्यार्थियों के संख्यात्मक और साक्षरता कौशल और समग्र अध्ययन परिणामों में सुधार करने और समावेशी कक्षा वातावरण में खुशनुमा और व्यावहारिक अध्ययन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन सभी मामलों पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों और इस विभाग के स्वायत्त संगठनों के साथ आयोजित विभिन्न परामर्शी बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था और मानकीकृत और व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसलिए, इस वर्ष, लगभग 42 लाख प्रतिभागियों को शामिल करते हुए प्रारंभिक स्तर पर समग्र शिक्षा के तहत व्यापक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसमें सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के सभी शिक्षक, प्रारंभिक स्तर के स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य और प्रमुख, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), ब्लॉक संसाधन संयोजक (बीआरसी), क्लस्टर संसाधन संयोजक (सीआरसी) के संकाय सदस्य शामिल हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन (एनआईईपीए) ने राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को शामिल करते हुए परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मॉड्यूल तैयार किए हैं।

इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों में 'वैयक्तिक - सामाजिक गुणों का विकास और स्वच्छ और स्वस्थ स्कूल वातावरण के निर्माण' और 'स्कूलों में स्वास्थ्य और देखभाल' पर विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। अतः एकीकृत कार्यक्रम में प्रथम स्तर के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए सभी स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था है जिससे विद्यार्थियों, स्कूलों और वास्तव में स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सजग और उत्तरदायी हो सकें।

(घ) और (ड.): प्रशिक्षण की अवधि 05 दिन है और यह प्रशिक्षण अगस्त, 2019 से प्रारंभ होगा।
